ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 25.01.2026 का कार्यवृत्त

समय: 01:00 बजे अपराह्न

स्थान: कुलपति के आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष

माध्यम: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (Hybrid Mode)

उपस्थिति:-

1 प्रो. संजय कुमार चौधरी, कुलपति	-	अध्यक्ष
2 प्रो. दिलीप कुमार चौधरी	-	सदस्य
3 डॉ. बैद्यनाथ चौधरी	-	सदस्य
4 प्रो. अशोक कुमार मेहता	-	सदस्य
5 श्रीमती मीना कुमारी	-	सदस्य
6 श्री सुजीत पासवान	-	सदस्य
7 डॉ. हरि नारायण सिंह	-	सदस्य
8. डॉ धनेश्वर प्रसाद सिंह	-	सदस्य
9 डॉ. अमर कुमार	-	सदस्य
10 प्रो. विजय कुमार यादव	-	सदस्य
12 डॉ. अनिल कुमार चौधरी (ऑनलाइन)	-	सदस्य
14 डॉ. इफ्तेकार अहमद (ऑनलाइन)	-	सदस्य
15. डॉ. वीरेंद्र कुमार चौधरी (ऑनलाइन)	-	सदस्य
16 डॉ. दिव्या रानी हंसदा, कुलसचिव	-	सचिव

सचिव-सह-कुलसचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति महोदय को गणापूर्ति की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी गई। अनुमति प्राप्ति के पश्चात् सचिव द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से जुड़े सभी माननीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बैठक की विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मद सं. 01 कुलपति का अभिभाषण।

निर्णय : सर्वसम्मति से, कुलपति के अभिभाषण को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 02 कुलपति के अभिभाषण पर सदस्यों से चर्चा।

निर्णय: सर्वसम्मति से, कुलपति के अभिभाषण को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 03 अधिषद् की बैठक दिनांक 27.01.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

(कार्यवृत्त की प्रति बाद में भेजी जाएगी)।

निर्णय:	**सर्वसम्मति से, अधिषद् की बैठक दिनांक 27.01.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।**
मद सं. 04	सीनेट संचालन नियमावली के नियम 8(1)(b) के अन्तर्गत इस कार्यसूची में शामिल मदों पर संशोधन का प्रस्ताव, (यदि कोई हो पर विचार)।
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, सीनेट संचालन नियमावली के नियम 8(1)(b) के अन्तर्गत इस कार्यसूची में शामिल मदों के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि चतुर्थ चरण के अंतर्गत महाविद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के नाम के साथ बकाया पेंशन एवं वेतन की राशि को बजट में शामिल किया जाए, इस हेतु वित्तीय परामर्शी को अधिकृत किया गया।**
मद सं. 05	विद्वत परिषद् की गत बैठक दिनांक 19.01.2026 के संशोधित कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, विद्वत परिषद् की गत बैठक दिनांक 19.01.2026 के संशोधित कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया।**
मद सं. 06	अभिषद् की गत बैठक दिनांक 21.01.2026 के कार्यवृत एव अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, अभिषद् की गत बैठक दिनांक 21.01.2026 के कार्यवृत को संपुष्ट किया गया एवं अनुपालन-प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।**
मद सं. 07	वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.01.2026 के कार्यवृत के सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.01.2026 के कार्यवृत को संपुष्ट किया गया।**
मद सं. 08	माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रश्न एवं उनके लिखित उत्तर पर विचार।
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों एवं उनके लिखित उत्तरों को अनुमोदित किया गया।**
मद सं. 09	..............................**अभिषद् की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** सी०एम० कॉलेज, दरभंगा में चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बी०ए०-बी०एड. और बी०कॉम०-बी०एड० का अध्यापन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**
मद सं. 10	..............................**अभिषद् की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** आई०बी०एम०, बेला, दरभंगा में बी०सी०ए० कोर्स में सत्र 2026-29 से दो सत्रों के लिए अध्यापन प्रारंभ करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**
मद सं. 11	..............................**अभिषद् की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** भारद्वाज कॉलेज, सकरपुरा, हसनपुर रोड़, समस्तीपुर में विज्ञान सकाय में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लिए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**
निर्णय:	**सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 12 ....**अभिषद् की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** संत कबीर कॉलेज, समस्तीपुर में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषय में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 13 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** आर०एल०एस०आर०एम०डी० कॉलेज, शिवाजीनगर, समस्तीपुर में विज्ञान संकाय में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लिए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 14 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** राम पुकारी लखन लाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज, सतनपुर, उजियारपुर, समस्तीपुर में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लिए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 15 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** श्याम डिग्री कॉलेज किरतौल, तेघरा, बेगूसराय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लिए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 16 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** सुधीर कुमार चौधरी कॉलेज, हरलाखी, मधुबनी में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लिए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 17 ....**अभिषद् की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** विवेक सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, खाजेडीह, मधुबनी में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लिए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 18 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** एम०आर० जनता कॉलेज, उजियारपुर, समस्तीपुर में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में सत्र 2026-30 से स्नातक स्तर के लिए दो सत्रों तक अस्थायी सम्बन्धन प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 19 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** बी०एम०ए० कॉलेज, बहेड़ी, दरभंगा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्नातकोत्तर स्तर के लिए अध्यापन प्रारंभ करने अनुमति प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 20 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा में अंग्रेजी एवं संगीत विषयों तथा वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर के लिए अध्यापन प्रारंभ करने अनुमति प्रदान करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 21 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षाशास्त्र विभाग की स्थापना करने के संबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 22 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** विश्वविद्यालय में खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना एवं स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत विभिन्न कोर्स प्रारंभकरने के सबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 23 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के लिए सत्र 2025-27 तथा 2026-28 तक गैर प्रायोगिक विषयों (अधिकतम तीन विषयों) में अध्यापन प्रारंभ की घटनोत्तर स्वीकति प्रदान करने के सबंध में विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 24 ....**अभिषद की ओर से प्रस्ताव करेंगे कि,** ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में भौतिकी विभाग की देखरेख में फॉरेंसिक विज्ञान एवं साइबर कौशल विकास के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कोर्स आरंभ किए जाने पर विचार। **(ज्ञापिका संलग्न)**

निर्णय: **सर्वसम्मति से, अभिषद् की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए अभिषद् सदस्य के नाम को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।**

अन्यान्य मद

अ. मद सं. 01 माननीय कुलपति महोदय ने प्रस्ताव रखा कि हमारे विश्वविद्यालय में ए.आइ. **(AI)** तथा फोरेंसिक विज्ञान अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत कंसल्टेंसी ऑप्ट किया जाएगा। इसमें छात्र-छात्राओं के साथ बिहार सरकार के अधीन कार्यरत कांस्टेबल से डीएसपी स्तर के अधिकारियों को ए.आई. एवं फोरेंसिक विज्ञान का

प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गृह विभाग से एमओयू (MOU)साइन करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, इस समिति के अध्यक्ष माननीय कुलपति एवं सदस्य के रूप में अभिषद् सदस्य श्री सुजीत पासवान एवं डॉ दिलीप कुमार चौधरी शामिल है। इस पाठ्यक्रम में भौतिकी, रसायन, वनस्पतिशास्त्र, जीवविज्ञान तथा ए.आरसी प्रयोगशाला को शामिल किया गया है। श्री केशव कुमार, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, गुजरात के मार्गदर्शन एवं सलाह पर एआरसी प्रयोगशाला को विकसित किया जा रहा है। प्रारंभ में इस पाठ्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों को आउटसोर्स पर एक वर्ष या अधिकतर तीन वर्षों के लिए रखा जाएगा।

निर्णय **सर्वसम्मति से, अध्यक्ष महोदय के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अ मद सं 02 माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में "खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय" के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित होंगे। "खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय" संस्थान बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर से एमओयू करेंगे। खेल विभाग अंतर्गत विभिन्न छात्र-छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विद्याओं में पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हमारे छात्र-छात्राओं को बिहार लोक भवन, पटना में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करने हेतु माननीय अभिषद् सदस्य श्री सुजीत पासवान को अधिकृत किया जाता कि बिहार लोक भवन, पटना से समन्वय स्थापित कर समय लें। इस कार्यक्रम में सभी अभिषद् सदस्य भाग लेंगे एवं खर्च का वाहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय से चांसलर ट्रॉफी की मेजबानी ललित नारायण मिथला विश्वविद्यालय को प्रदान करने का आग्रह करेंगे।

निर्णय : **सर्वसम्मति से, अध्यक्ष महोदय के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अ. मद सं. 03 अभिषद् सदस्य डॉ. अमर कुमार के प्रस्ताव, विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों के पारिश्रमिक (Remuneration) में कुछ वृद्धि किया जाय।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, इस प्रस्ताव पर विचार हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, इस समिति में सदस्य के रूप में डॉ. धनेश्वर प्रसाद सिंह, डॉ. हरि नारायण सिंह एवं वित्तीय परामर्शी (समन्वयक) होंगे। इस समिति के सदस्यों को इस कार्य हेतु बैठक में आने के लिए यात्रा भत्ता देय होगा।**

अ. मद सं. 04 अभिषद् सदस्य, श्रीमती मीना कुमारी ने प्रस्ताव रखा कि नरगौना परिसर में स्थित स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में अवस्थित संग्रहालय का उन्नयन कार्य किया जाय।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, इस प्रस्ताव पर नरगौना परिसर में स्थित स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में अवस्थित संग्रहालय का उन्नयन कार्य हेतु समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रभारी अभियंत्रण शाखा, प्रभारी आईटी सेल, एवं भू-संपदा पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग (समन्वयक) को शामिल किया। समिति इस संग्रहालय के उन्नयन का कार्य करेगी एवं उन्नयन उपरान्त यह विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुलेगा।**

अ. मद सं. 05 अभिषद् सदस्य डॉ. बैद्यनाथ चौधरी ने प्रस्ताव रखा कि आनंदपुर में मेरी माता देवकला देवी और राजेन्द्र चौधरी के नाम महिला महाविद्यालय खुला। इस महाविद्यालय को मैंने 7 बीघा जमीन और 4.5 लाख रुपए दिये। अब तक विभिन्न जांच कमेटी द्वारा जांच की गई, परंतु कुछ फल प्राप्त नहीं

हुआ। ऐसे में मे मेरा 7 बीघा जमीन, जो माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से लिखी गई है और 4.5 लाख रुपए वापस कर दिया जाय।

निर्णय: **सर्वसम्मति से, संबंधित महाविद्यालय के प्रसंगाधीन मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई। इस समिति में अभिषद् सदस्य डॉ. अमर कुमार, भू-संपदा पदाधिकारी एवं कुलानुशासक (समन्वयक) को शामिल किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया कि यह समिति डॉ. बैद्यनाथ चौधरी एवं महाविद्यालय निरीक्षक से सलाह कर तीन माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, विशेष परिस्थिति में इस समिति को एक माह का अतिरिक्त समय विस्तार दिया जा सकता है।**

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव-सह-सचिव द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को बैठक के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग, महत्वपूर्ण सुझाव तथा बहुमूल्य समय दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तदुपरांत बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

डॉ. दिव्या रानी हंसदा
कुलसचिव-सह-सचिव

प्रो. संजय कुमार चौधरी
कुलपति-सह-अध्यक्ष

ज्ञापांक :– **UB-848/26** दिनांक–25.01.2026

प्रतिलिपि प्रेषित–

1. **अभिषद् के सभी सदस्य,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. **सचिव, उच्च शिक्षा,** बिहार पटना;
3. **निदेशक, उच्च शिक्षा,** बिहार पटना;
4. **उप–सचिव,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना;
5. **सभी पदाधिकारी,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. **नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट),** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. **कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

दिव्या हंसदा
25-01-26

कुलसचिव